

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा,  
जिला-जशपुर (छ.ग.)

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013)

धारा 21 के तहत लोक सूचना

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2017-18  
ग्राम-करमा, प0ह0नं0 42 रा0नि0मं0 व तहसील  
बगीचा, जिला-जशपुर छत्तीसगढ़

श्री/श्रीमती ..... को यह सूचना दी जाती है कि ग्राम करमा, प0ह0नं0 42, राजस्व निरीक्षक मण्डल बगीचा तहसील बगीचा में स्थित अर्जित की जा रही भूमि का कब्जा लेने का सरकार का आशय है और ऐसी भूमि में सारे हितों के लिए प्रतिकर दावे उससे लिए जा सकते हैं। अतएव अर्जित की जा रही निम्नांकित भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 6.7.2020 को उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक/माप/प्रतिकर के संबंध में अपना दावा पेश कर सकते हैं। उक्त तिथि में दावा प्रस्तुत न करने पर मान लिया जावेगा कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिकर निर्धारण किया जा रहा है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

क.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमिस्वामी का नाम मय वल्लियत सकूनत	कब्जेदार का नाम मय वल्लियत सकूनत	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			विवरण सम्पत्ति वृक्ष. बोर आदि
					ख0नं0	रकबा हे. में	वर्गीकरण क ख ग घ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	करमा	बगीचा	मु0 सिलिया पति इमिल, मेरीसलता, हबिल, जेमा पिता इमिल, निकोलस पिता थौला, फुलजेन पिता अगस्तुस, मागरेट, इलियाजर, जेन पिता अगस्तुस जाति उराव, ग्राम करमा तहसील बगीचा, जिला-जशपुर छत्तीसगढ़	-	525	0.149	ख	-
2	--	--	समरथ पिता सुकरू, जाति गयार ग्राम करमा, तहसील बगीचा, जिला-जशपुर छत्तीसगढ़	-	526	0.028	ख	-
				योग :-	2	0.177		-

जारी दिनांक :- 15.6.2020

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं  
भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा,  
जिला-जशपुर (छ.ग.)